न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
118 / 14	19.12.2014	23.04.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

अब्दुल रहमान पुत्र ईदा शाह जाति मुसलमान निवासी नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थी –

बनाम

1. जुम्मी बाई पुत्री नूर शाह जाति मुसलमान (डिलीट)
2. शमशुद्दीन पुत्र ईदा शाह जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
3. शहजाद पुत्री ईदा शाह जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
4. हनीसा पुत्री ईदा शाह जाति मुसलमान निवासी किले के अन्दर मस्जिद के पास श्योपुर जिला श्योपुर म0 प्र0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थित अभिभाषक–

1. श्री रामप्रसाद शर्मा :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री छीतरलाल गोचर :– वकील प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 की ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद में ख0नं0 52/1 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 460/1 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 1534/1 रकबा 1.29 हे0, ख0नं0 2019/1404 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.80 हे0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी की नानी प्रतिपक्षी नं0 1 जुम्मी बाई उपरोक्त भूमि की खातेदार है। जिसको उपरोक्त भूमि उनके पिता नूर शाह से विरासत में प्राप्त हुई

Scanned by CamScanner

है। प्रतिपक्षी नं0 1 के केवल मात्र एक पुत्री गुलफाम बाई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा अन्य कोई पुत्र व पुत्री वारिसान नहीं है। प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपनें खातें की उपरोक्त भूमि को अपनें जीवन काल में ही अपनें नवासे नवासी को दे दी थी यानी प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 को बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्से से दे दी थी और इसी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण काबिज काश्त मौके पर चले आ रहे है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 अपनें अपनें हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमि पुश्तेनी भूमि होनें से प्रार्थी अपनें 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होनें का अधिकारी है तथा अपनें हिस्से की भूमि का विभाजन कराकर भूमि विभाजन में प्राप्त करनें का अधिकारी है। प्रतिपक्षी नं0 1 काफी वृद्ध है और उसकी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है। प्रतिपक्षी नं0 1 को प्रतिपक्षी नं0 2 बहला फुसला कर उक्त भूमि अपनें नाम करानें पर व प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करनें पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण से प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर से बेदखल नहीं करनें, कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा न करनें हेतु प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को दिनांक 12.12.2014 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी को उक्त भूमि के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा करनें व प्रार्थी की बोई हुई फसल को उसके द्वारा काट लेनें की धमकी दी। जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को उक्त कृत्य करनें का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से प्रार्थी के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा किया और प्रार्थी की फसल को काट ली गयी व काश्त नहीं करनें दी व प्रार्थी को पुश्तेनी भूमि से महरूम कर दिया गया तो इससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की ख0नं0 52/1 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 460/1 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 1534/1 रकबा 1.29 हे0, ख0नं0 2019/1404 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.80 हे0 भूमि को रहन, बैचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करनें से नहीं रोके और न

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 ता 4 की ओर से जरिये विद्वान वकील जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 ता 4 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा विशेष आपत्तियों में कथन किये कि प्रार्थी ने सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण खारिज होनें योग्य है। वाद अर्जेन्ट नेचर का नहीं है इस कारण बिना नोटिस दिये प्रार्थी को वाद पेश करनें का अधिकार नहीं है। इस कारण वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होनें योग्य है। विवादित भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें की भूमि है जिसको रहन, बैचान, वसीयत, हिब्बा आदि करनें का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जिसको किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। विवादित भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि नहीं है। विवादित भूमि में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है इस कारण प्रार्थी को वाद लानें का अधिकार नहीं होनें से प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होनें योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 जब तक जीवित है तब तक किसी भी उत्तराधिकारी को उक्त भूमि में किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं होते है। इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार से खातेदार घोषित होनें व विभाजन करानें व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है इस कारण भी प्रार्थी का दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होनें योग्य है। प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र निरस्त होनें योग्य है। नानी की भूमि में जब तक नवासे की मां जीवित रहती है, नवासे नवासी का कोई हक नही बनता है। नानी की पुत्री को यानी प्रतिपक्षी नं0 1 को उसके खातें की भूमि को सभी प्रकार से उपयोग उपभोग व रहन, बैचान, वसीयत करनें के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या नहीं है और न सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, और न अपरिमित क्षति होनें की सम्भावना है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपक्षीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेंजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये –

1. छायाप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नोताडा सं0 2067–70 खाता नं0 161

Scanned by CamScanner

2. छायाप्रति प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस ग्राम नोताडा सन् 1980-81

हमने प्रार्थी तथा प्रतिपक्षीगण को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तीन बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिकांशतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया तथा कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम नोताडा की है, जो जुम्मी बाई के नाम दर्ज थी। जुम्मी बाई के मात्र एक पुत्री थी, अन्य कोई वारिसान् नहीं थे। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 जुम्मी बाई की पुत्री गुलफाम बाई की सन्तान है। जुम्मी बाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिपक्षी नं0 2 ने जुम्मी बाई को बहला फुसलाकर फर्जी तरीके उसके खातें की भूमि की अपनें नाम वसीयत आलेखित करवा ली। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होनें पर अन्य वारिसान के हिस्से पर भी प्रतिपक्षी नं0 2 का नाम दर्ज हो जायेगा। प्रतिपक्षी नं0 2 अकेले ही सम्पूर्ण भूमि को हडपनें का प्रयास कर रहा है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। अतः रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें के आदेश प्रदान करें।

विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण ने बहस में कथन किये कि जुम्मीबाई विवादित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार थी। जवाब प्रार्थना पत्र जुम्मी बाई ने जीवित रहते पेश कर दिया था। जुम्मी बाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर शमशुद्दीन जुम्मी बाई का एकमात्र वारिस है। प्रार्थी द्वारा वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त भी नहीं करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस रिपीटल में विद्वान वकील ने कथन किये कि प्रतिपक्षी नं0 2 मात्र स्वयं का हित लेकर आ रहा है। दावें का जवाब भी केवल प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा ही दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही केवल मात्र भूमि को हडपनें की नियत से षडयंत्र रचकर की जा रही है।

दौराने बहस हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि विवादित भूमि वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की ख0नं0 52/1 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 460/1 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 1534/1 रकबा 1.29 हे0, ख0नं0 2019/1404 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.80 हे0 भूमि की प्रतिपक्षी नं0 1 जुम्मी बाई अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, किन्तु जुम्मी बाई की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 को उसके पिता नूर मोहम्मद शाह की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है। प्रतिपक्षी नं0 1 वर्तमान में विवादित आराजी की खातेदार राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है तथा प्रार्थी का फिलहाल विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्वत्व प्रमाणित नहीं है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विवादित भूमि वाके ग्राम नोताडा तहसील दीगोद की ख0नं0 52/1 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 460/1 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 1534/1 रकबा 1.29 हे0, ख0नं0 2019/1404 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.80 हे0 भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज है इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गये है कि विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 का 1/4–1/4 हिस्से पर कब्जा है, इसके विपरित प्रतिपक्षी नं0 1 ने सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अपना कब्जा होनें बाबत् अपनें जवाब में कथन किये है, किन्तु उभयपक्ष द्वारा कब्जें के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि रिकॉर्डेड खातेदार का कब्जा मानें जानें की अवधारणा है। जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। आर0आर0डी02000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि " ***सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से*** "

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी की मूल खातेदार जुम्मी बाई के वारिसान् के सम्बन्ध में विवाद है। जुम्मी बाई के मात्र एक पुत्री गुलफाम बाई होनें के कथन किये गये है तथा प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 2 ता 4 गुलफाम बाई के वारिसान है। किन्तु प्रार्थी के विवादित आराजी के सम्बन्ध में फिलहाल स्वत्व प्रमाणित नहीं है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, और प्रतिपक्षी नं0 1 विवादित आराजी की वर्तमान में अभिलिखित सहखातेदार है। प्रार्थी के विवादित आराजी पर स्वत्व तय नहीं हैं इसके विपरीत अप्रार्थी0 क्रम0 1 के रिकॉर्ड के

Scanned by CamScanner

अनुसार तो स्वत्व प्रकट होते हैं। साथ ही अभिलिखित खातेदार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा दिया जाना विधिसंगत नहीं पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपनें वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में भी यह कथन किया है कि विवादित भूमि जुम्मी बाई को अपनें पिता से प्राप्त हुई है तथा साथ ही विवादित आराजी पुश्तेनी मानते हुए अपनें स्वत्व प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहते है। किन्तु पुश्तेनी सम्पति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा भी वसीयत के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

प्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज़ किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 201/14 के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनॉक 23/04/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner